	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहकाम जो इस हुक्म कीतामील में जारी हुए
	वकील वादीगण उपस्थित। वाद पत्र पर जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80 (2) जाब्ता दीवानी प्रतिवादी संख्या 7 से 9 के अधिकार सुरक्षित रखते हुए स्वीकार कर रेकार्ड पर लिया जाता है और प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादीगण को वाद चलाने की अनुमति दी जाती है। मिसल बाद दर्ज रजिस्टर प्रकरण होकर एवं सम्मन जारी होकर दिनांक 12-6-19 को पेश हो। (हस्ताक्षर) (जसमीतसिंह संधू) उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर ब्यावर	सम्मन जारी 2603-11 15/5/19
12/6/19	वकुला: ए. फरी. उप. / पी.ओ. सा. दीगर प्रशा. कार्यो व्यस्त / .... पधारे हैं। मिसल वास्ते नियत कार्यवाही हेतु पी.ओ. समक्ष दिनांक 01-8-19 को पेश हों।	
19-6-19 श्रीमान आगे प्रकरण में कार्यवाही नहीं चाहते हैं (हस्ताक्षर)	वकील वादी द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र वास्ते मिसल तलब करने पर आज पत्रावली तलब की गई। वादीगण स्वयं उपस्थित। वकील वादी ने कथन किए कि वे वादपत्र में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं एवं नोट प्रेस करना चाहते हैं। उपस्थित पक्षकारान को पूछने पर उन्होंने प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं किये जाने के कथन किए। उक्त आशय के हस्ताक्षर वादीगण से करवाए गए जिनकी पहचान अधिवक्ता वादी श्री भगवान जाखरोट ने अंकित की। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया कि प्रकरण अभी अपनी प्रारंभिक अवस्था तनकी में नियत है तथा जाब्ता दीवानी के आदेश 23 नियम 1 के तहत प्रार्थी / वादी किसी भी स्टेज पर वाद विड्रो कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में यह प्रस्तुत प्रा. पत्र स्वीकार किया जाता है तथा वाद इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। (हस्ताक्षर) (जसमीतसिंह संधू) उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर ब्यावर	मीता (हस्ताक्षर)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Jasmeet Singh Sandhu
Date: 2019.12.02 11:30:42 IST
Reason: SelfAttested